न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

CIS No.- PS 09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य..वादीगण
बनाम
तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
17.11.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 19.11.2022 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 17.11.2025 को आदेश हेतु निश्चित है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी साक्षी सं0–03 अजय कुमार सिंह मुदईयान और मुदालहम के परिवार के सदस्य नहीं है। इनके शक्ति पत्र दिनांक 22.09.2022 को न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें इनका उम्र 49 वर्ष दर्ज है। प्रतिवादी साक्षी सं0–03 अजय कुमार सिंह के शपथ पत्र के पारा–04 में रामचन्द्र उपाध्याय, तारकेश्वर उपाध्याय और बलिराम उपाध्याय के बीच सन् 1955 ई0 में पारिवारिक जायदाद का बंटवारा और उनके साबूत में दिनांक 15.03.1955 ई0 को कोरा बंटवारा के बारे में ब्यान किया गया है, जिसे 30 वर्ष पुराना होने के आधार पर उसे प्रदर्श–ए अंकित करने की बात कही गयी है। इसके संबंध में मुदईयान का यह कथन है कि रामचन्द्र उपाध्याय, तारकेश्वर उपाध्याय और बलिराम उपाध्याय के बीच पारिवारिक जायदाद का कोई बंटवारा नहीं हुआ था और उसके साबूत में कोई कोरा बंटवारा कागज नहीं बना है और इसी बुनियाद पर मुदईयान द्वारा वर्तमान बंटवारा वाद दाखिल किया गया है तथाकथित कोरा बंटवारा उक्त साक्षी के जन्म के पूर्व का है तथा तथाकथित कोरा पंचनामा की कोई कार्यवाही उक्त साक्षी के समक्ष नहीं हुई है और न उक्त तथाकथित कोरा पंचनामा के संबंध में उक्त साक्षी को किसी फरिकैन से कोई बातचीत हुई है। इसी बुनियाद पर उक्त तथाकथित कोरा पंचनामा प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है। उक्त साक्षी शपथ पत्र की पारा–6 में साक्षी ने दिनांक	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंट्वारा वाद सं0–09/2008

CIS No.- PS 09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य...वादीगण
बनाम
तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **17.11.2025**	07.09.1962 को निष्पादित वक्शीशनामा दस्तावेज जो मुदालहम सं0–17 राजपति देवी के पक्ष में लिखा गया है, उसके संबंध में ब्यान किये है, जिसे प्रदर्श–बी अंकित करने का मांग किये है। यह भी तथाकथित दस्तावेज साक्षी के जन्म के पूर्व का है तथा इस दस्तावेज के संबंध में साक्षी को किसी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं हुई है। राजपति देवी मुदालह सं0–17 अभी जीवित है, जिनके पक्ष में उक्त तथाकथित वासिका वक्शीशनामा दस्तावेज निष्पादित होना बताया जा रहा है। साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक वक्शीशनामा दस्तावेज के पहचानकर्ता और गवाह का ब्यान न्यायालय के समक्ष होना अति आवश्यक है उनके साक्ष्य के बिना वकशीशनामा दस्तावेज लिखने या लिखवाने वाले के साक्ष्य के वगैर उक्त वक्शीशनामा दस्तावेज प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी साक्षी सं0–01 की गवाही वर्तमान वाद में हो चुकी है। उनके शपथ पत्र के पारा सं0–03 में उक्त तथाकथित कोरा पंचनामा के बारे में ब्यान करते हुए प्रदर्श–ए अंकित करने की बात कही गयी है और शपथ पत्र के पारा–5 में उनके पक्ष में निष्पादित वक्शीशनामा दिनांक 17.09.1962 का बयान करते हुए प्रदर्श–बी अंकित करने की बात की गयी है परन्तु उनके साक्ष्य के दरम्यान उन दोनों कागजातों को प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया। प्रतिपरीक्षण के पारा 30 वो 31 में प्रतिवादी साक्षी सं0–01 ने वक्शीशनामा दस्तावेज की बातचीत रामचन्द्र उपाध्याय से होना इंकार किया है और रामचन्द्र उपाध्याय द्वारा लिखे गये भूमि को देखने से भी इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से स्पष्अ हो जाता है कि रामचन्द्र उपाध्याय द्वारा कोई वक्शीशनामा राजपति देवी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है और न दर्ज किसी भूमि पर राजपति देवी का कभी दखल–कब्जा रहा है। मुदालहम	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

CIS No.- PS 09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **17.11.2025**	साक्षी सं0–03 अपने ब्यान में धोखा के साथ उक्त दोनों कागजातों को प्रदर्श अंकित कराना चाहते है जो प्रदर्श होने लायक नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी साक्षी सं0–03 के शपथ पत्र में अंकित कोरा पंचनामा दिनांक 15.03.1955 वो बक्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 15.03.1955 और वक्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.09.1962 को प्रदर्श अंकित नहीं होने के निस्वत आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण ने वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 09.12.2022 को दाखिल किया एवं निवेदन किया गया है कि वादीगण का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादीगण ने अपने आवेदन के पारा नं0–01 में जो ब्यान किया है, वह सही है। अजय कुमार सिंह साक्षी सं0–03 प्रतिवादीगण के कार्यो का देखरेख करते है एवं उसी गाँव के निवासी है, जिन्हें प्रतिवादीगण के परिवार की सभी बातों की जानकारी रहती है। वादीगण ने अपने आवेदन के पारा नं0–02 में जो ब्यान किया है वह बिल्कुल गलत है। रामचन्द्र उपाध्याय, तारकेशवर उपाध्याय और बलिराम उपाध्याय के बीच पारिवारिक जायदाद का बंटवारा दिनांक 15.03.1955 को हुआ है जिसके सबूत में दिनांक 15.03.1955 का कोरा पंचनामा बंटवारा के अभिलेख पर उपलब्ध है जो प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल किया गया है और इस बंटवारा की जानकारी साक्षी सं0–03 को है लेकिन वादीगण का कहना है कि रामचन्द्र उपाध्याय, तारकेश्वर उपाध्याय और बलिराम उपाध्याय के बीच बंटवारा नहीं हुआ था एवं कोई कोरा पंचनामा बंटवारा नहीं बना था। यह बिल्कुल गलत है और यह कोरा पंचनामा बंटवारा की जानकारी साक्षी सं0–03 को है और इस पंचनामा बंटवारा के बारे में प्रतिवादीगण से साक्षी सं0–03 को हमेशा इनके बारे	

लगातार **17.11.2025**	में बातचीत हुई है, इसे प्रदर्श करना न्यायहित में अति आवश्यक है। वादीगण ने अपने आवेदन के पारा नं0–03 में दिनांक 07.09.1962 को निष्पादित बख्शीशनामा दस्तावेज जो प्रतिवादी सं0–17 के पक्ष में हुआ है उसकी जानकारी साक्षी सं0–03 को है। बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.09.1962 का जो रामचन्द्र उपाध्याय ने राजपति देवी के पक्ष में निष्पादित किया है, जो जायज और प्रभावकारी है। वादीगण ने आवेदन के पारा सं0–05 में जो ब्यान किया है, उसमें राजपति देवी उर्फ पानमति देवी की गवाही हो चुकी है, यह सही है। राजपति देवी साक्षर नहीं थी, वह अंगूठे का निशान अपने शपथ पत्र पर लगायी थी, इसलिए कोरा पंचनामा बंटवारा एवं बख्शीशनामा दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना था, वह प्रदर्श अंकित नहीं हो सका। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कोरा पंचनामा बंटवारा दिनांक 15.03.1955 वो बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.09.1962 बिल्कुल प्रभावकारी है। इसे प्रदर्श–ए एवं बी अंकित करना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.11.2022 को विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 19.11.2022 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी साक्षी सं0–03 के शपथ पत्र में अंकित कोरा पंचनामा दिनांक 15.03.1955 वो बक्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 15.03.1955 और वक्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.09.1962 को प्रदर्श अंकित नहीं होने के निस्वत आदेश पारित करने करने की कृपा करें। वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.12.2022 को दाखिल	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

CIS No.- PS 09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य...वादीगण
बनाम
तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **17.11.2025**	किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कोरा पंचनामा बंटवारा दिनांक 15.03.1955 वो बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.09.1962 बिल्कुल प्रभावकारी है। इसे प्रदर्श–ए एवं बी अंकित करने का अनुरोध किया गया है तथा वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद दिनांक 22.09.2022 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पहले से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन न्यायसंगत नहीं है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 19.11.2022 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 27.11.2025 को अग्रीम कार्यवाही वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज (लेखापित)	